HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2118/2026

Deepak Modi S/o Shri Manmohan Modi, Aged About 67 Years, R/o House No 167, Sardarpura C Road, Police Station Sardarpura, Jodhpur (At Present Lodged At Central Jail Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anand Purohit, Sr. Adv. Mr. Himanshu Purohit Mr. Pradeep Bhakar Mr. Manoj Kumar Mr. Dhruv Chandora
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. A.R. Beniwal for Complainant

---

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

25/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना उदयमन्दिर, जिला जोधपुर सिटी पूर्व** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 75/2025** अपराध अन्तर्गत **धारा 420, 467, 468, 471 व 120–बी भारतीय दंड संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आरोप है कि उसने प्लॉट संख्या 87, वाके खसरा संख्या 233 की शांति नगर योजना, ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर का एक फर्जी बेचाननामा बनाया है। फर्जी बेचाननामा/रसीद बनाने व स्वयं को प्लॉट संख्या 87 का मालिक होना बताया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि उक्त कथित कूटरचित बेचाननामा/रसीद न तो प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जारी की गई है और

न ही स्वयं के पक्ष में जारी की गई है। वादग्रस्त प्लॉट के संबंध में परिवादी व प्रार्थी/अभियुक्त पक्ष के मध्य सिविल दावे न्यायालय में लंबित चल रहे हैं। इस प्रकार यह मामला सिविल प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त 67 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जो कि हृदय रोग से ग्रसित है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 02.02.2026 गिरफ्तार किया गया है, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 व 120–बी भारतीय दंड संहिता के आरोप हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए समस्त आरोप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध किया तथा उन्होंने व्यक्त किया कि प्लॉट संख्या 86 व 87 परिवादी पक्ष द्वारा वर्ष 1992 में खरीद किए गए थे व दोनों ही प्लॉट में मकान बनाकर परिवादी पक्ष काबिज है तथा प्रार्थी/अभियुक्त कूटरचित बेचाननामा/रसीद के आधार पर उक्त प्लॉट पर कब्जा करना चाहत है। अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावें।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए समस्त आरोप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 02.02.2026 को गिरफ्तार किया

गया है, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त 67 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। स्वीकृत रूप से पक्षकार के मध्य सिविल वाद सिविल न्यायालय में लंबित चल रहे हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **दीपक मोदी पुत्र मनमोहन मोदी** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 75/2025 पुलिस थाना उदयमन्दिर, जिला जोधपुर सिटी पूर्व** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपए मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे पचास–पचास हजार रूपए मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

22-sandeepJ/-